

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No./002/2017/20(120)/XXVII(8)/2017 dated 29 November, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section- 8
No/002/2017/20(120)/XXVII(8)/2017,
Dehradun :: dated : 29 November, 2017

Notification

In exercise of the powers conferred by section 68 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with rule 138 of the Uttarakhand Goods and Services Tax (Second Amendment) Rule, 2017 and in supersession of the Notification No. 533/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 30th June, 2017, the Governor is pleased to allow to issue the following notification; namely -

1. Every registered person for movement of goods in relation to a supply or for reasons other than supply or inward supply from un-registered persons or due to inward supply from outside the state whose supply value exceeds fifty thousand rupees shall, before commencement of such movement, furnish information in Part A relating to the said goods electronically, in the format, i.e., 'e-way bill' in the common portal <http://comtaxappl.uk.gov.in/gstweb> before the movement of goods containing the following particulars;

E-Way Bill

PART-A		
A1	GSTIN of Recipient	
A2	Place of Delivery	
A3	Invoice or Challan Number	
A4	Invoice or Challan Date	
A5	Value of Goods	
A6	HSN Code	
A7	Reason for Transportation	
A8	Transport Document Number	
PART-B		
B	Vehicle Number	

Notes:

- (1) HSN Code in column A6 shall be indicated at minimum two digit level for taxpayers having annual turnover upto five crore rupees in the preceding financial year and at four digit level for taxpayers having annual turnover above five crore rupees in the preceding financial year.
- (2) Transport Document number indicates Goods Receipt Number or Railway Receipt Number or Airway Bill Number or Bill of Lading Number.
- (3) Place of Delivery shall indicate the PIN Code of place of delivery.
- (4) Reason for Transportation shall be chosen from one of the following:

Code	Description
1	Supply
2	Export or Import
3	Job Work
4	SKD or CKD
5	Recipient not known
6	Line Sales
7	Sales Return
8	Exhibition or fairs
9	For own use
0	Others

2. Where the goods are transported by the registered person as a consignor or the recipient of supply as the consignee, whether in his own conveyance or a hired one or by railways or by air or by vessel, the said person or the recipient may generate the e-way bill electronically on the common portal after furnishing vehicle number in PART-B of the said format of e-way bill;

Provided that the registered person or, as the case may be, the transporter may, at his option, generate and carry the e-way bill even if the value of the consignment is less than fifty thousand rupees;

Provided further that where the movement is caused by an unregistered person either in his own conveyance or a hired one or through a transporter, he or the transporter may, at their option, generate the e-way bill on the common portal;

Provided also that where the goods are transported for a distance of less than ten kilometers within the State from the place of business of the consignor to the place of business of the transporter for further transportation, the supplier or the transporter may at his option furnish the vehicle number as provided in PART-B.



Explanation 1.— where the goods are supplied by an unregistered supplier to a recipient who is registered, the movement shall be said to be caused by such recipient if the recipient is known at the time of commencement of the movement of goods.

Explanation 2.—The information in **Part A** of e-way bill shall be furnished by the consignor or the recipient of the supply as consignee where the goods are transported by railways or by air or by vessel.

3. Upon generation of the e-way bill on the common portal, a unique e-way bill number (EBN) shall be made available to the supplier, the recipient and the transporter on the common portal.

4. Any transporter transferring goods from one conveyance to another in the course of transit shall, before such transfer and further movement of goods, update the details of conveyance in the e-way bill on the common portal in the e-way bill;

Provided that where the goods are transported for a distance of less than ten kilometers within the State from the place of business of the transporter finally to the place of business of the consignee, the details of conveyance may not be updated in the e-way bill.

5. After e-way bill has been generated, where multiple consignments are intended to be transported in one conveyance, the transporter may indicate the serial number of e-way bills generated in respect of each such consignment electronically on the common portal and a consolidated e-way bill may be generated by him on the said common portal prior to the movement of goods.

Consolidated E-Way Bill

Number of E-Way Bills	
E-Way Bill Number	

6. Where the consignor or the consignee has not generated e-way bill and the value of goods carried in the conveyance is more than fifty thousand rupees, the transporter shall generate **e-way bill** in the format as provided clause (1) on the basis of invoice or bill of supply or delivery challan, as the case may be, and may also generate a consolidated e-way bill on the common portal prior to the movement of goods.



7. Registered supplier may utilize the information furnished in **Part A** of **e-way bill** in the format as provided in clause (1) on the notified website to furnish details in **FORM GSTR-1**:

Provided that when the information has been furnished by an unregistered supplier in **e-way bill**, he shall be informed electronically, if the mobile number or the e-mail is available.

8. Where an e-way bill has been generated, but goods are either not transported or are not transported as per the details furnished in the e-way bill, the e-way bill may be cancelled electronically on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, within 24 hours of generation of the e-way bill:

Provided that an e-way bill cannot be cancelled if it has been verified in transit in accordance with the provisions of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017).

9. An e-way bill or a consolidated e-way bill generated under this notification shall be valid for the period as mentioned in column (3) of the Table below from the relevant date, for the distance the goods have to be transported, as mentioned in column (2) of the said Table:

Table		
Sr. no.	Distance	Validity period
(1)	(2)	(3)
1.	Upto 100 km	One day
2.	For every 100 km or part thereof thereafter	One additional day

Provided that the Commissioner may, by notification, extend the validity period of e-way bill for certain categories of goods as may be specified therein;

Provided further that where, under circumstances of an exceptional nature, the goods cannot be transported within the validity period of the e-way bill, the transporter may generate another e-way bill after updating the details in **Part B** of **e-way bill**.

Explanation.—For the purposes of this notification, the “relevant date” shall mean the date on which the e-way bill has been generated and the period of validity shall be counted from the time at which the e-way bill has been generated and each day shall be counted as twenty-four hours.

10. The details of e-way bill generated under this notification shall be made available to the recipient, if registered, on the common portal, who shall communicate his acceptance or rejection of the consignment covered by the e-way bill.



11. Where the recipient referred to clause (10) above does not communicate his acceptance or rejection within seventy two hours of the details being made available to him on the common portal, it shall be deemed that he has accepted the said details.

12. The e-way bill generated under this notification or under rule 138 of the Goods and Services Tax Rules of any State shall be valid in every state and Union territory.

13. Notwithstanding anything contained in this rule, no e-way bill is required to be generated—

- (a) where the goods being transported are specified in Annexure;
- (b) where the goods are being transported by a non-motorised conveyance;
- (c) where the goods are being transported from the port, airport, air cargo complex and land customs station to an inland container depot or a container freight station for clearance by Customs.

14. The person in charge of a conveyance shall carry the invoice or bill of supply or delivery challan, as the case may be.

15. **Procedure to furnish the information:** For furnishing the information in the format given above, the following procedure may be followed:

(a) Every such person shall login the common portal **<http://comtaxappl.uk.gov.in/gstweb>** and create the username and password by authenticating by one time password (OTP).

(b) The registered person should keep the password in proper custody. The registered persons are advised to change the password at regular intervals.

(c) The registered person may create sub-users if required.

16. Instance of non-compliance of this notification or furnishing incorrect or incomplete information invite detention or seizure and penalty under section 129 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017).

17. This Notification shall come into force with effect from the date notified by the Commissioner State Tax in this behalf.

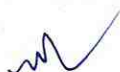



(Radha Raturi)
Principal Secretary

ANNEXURE

(see clause 13)

Sl. No.	Chapter or Heading or Sub-heading or Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	0101	Live asses, mules and hinnies
2.	0102	Live bovine animals
3.	0103	Live swine
4.	0104	Live sheep and goats
5.	0105	Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls.
6.	0106	Other live animal such as Mammals, Birds, Insects
7.	0201	Meat of bovine animals, fresh and chilled.
8.	0202	Meat of bovine animals frozen [other than frozen and put up in unit container]
9.	0203	Meat of swine, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
10.	0204	Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
11.	0205	Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
12.	0206	Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
13.	0207	Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
14.	0208	Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
15.	0209	Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
16.	0209	Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, salted, in brine, dried or smoked [other than put up in unit containers]



Sl. No.	Chapter or Heading or Sub-heading or Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
17.	0210	Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal, other than put up in unit containers
18.	3	Fish seeds, prawn/shrimp seeds whether or not processed, cured or in frozen state [other than goods falling under Chapter 3 and attracting 2.5%]
19.	0301	Live fish.
20.	0302	Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304
21.	0304	Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh or chilled.
22.	0306	Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh or chilled; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water live, fresh or chilled.
23.	0307	Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled; aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh or chilled.
24.	0308	Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh or chilled.
25.	0401	Fresh milk and pasteurised milk, including separated milk, milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter, excluding Ultra High Temperature (UHT) milk
26.	0403	Curd; Lassi; Butter milk
27.	0406	Chena or paneer, other than put up in unit containers and bearing a registered brand name;
28.	0407	Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked
29.	0409	Natural honey, other than put up in unit container and bearing a registered brand name
30.	0501	Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair
31.	0506	All goods i.e. Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or gelatinised; powder and waste of these products



Sl. No.	Chapter or Heading or Sub-heading or Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
32.	0507 90	All goods i.e. Hoof meal; horn meal; hooves, claws, nails and beaks; antlers; etc.
33.	0511	Semen including frozen semen
34.	6	Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage
35.	0701	Potatoes, fresh or chilled.
36.	0702	Tomatoes, fresh or chilled.
37.	0703	Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled.
38.	0704	Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled.
39.	0705	Lettuce (<i>Lactuca sativa</i>) and chicory (<i>Cichorium</i> spp.), fresh or chilled.
40.	0706	Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled.
41.	0707	Cucumbers and gherkins, fresh or chilled.
42.	0708	Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
43.	0709	Other vegetables, fresh or chilled.
44.	0712	Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared.
45.	0713	Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split.
46.	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh or chilled; sago pith.
47.	0801	Coconuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled
48.	0801	Brazil nuts, fresh, whether or not shelled or peeled
49.	0802	Other nuts, Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts (<i>Corylus</i> spp.), walnuts, Chestnuts (<i>Castanea</i> spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (<i>Cola</i> spp.), Areca nuts, fresh, whether or not shelled or peeled
50.	0803	Bananas, including plantains, fresh or dried

Sl. No.	Chapter or Heading or Sub-heading or Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
51.	0804	Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh.
52.	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresh.
53.	0806	Grapes, fresh
54.	0807	Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh.
55.	0808	Apples, pears and quinces, fresh.
56.	0809	Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh.
57.	0810	Other fruit such as strawberries, raspberries, blackberries, mulberries and loganberries, black, white or red currants and gooseberries, cranberries, bilberries and other fruits of the genus vaccinium, Kiwi fruit, Durians, Persimmons, Pomegranates, Tamarind, Sapota (chico), Custard-apple (ata), Bore, Lichi, fresh.
58.	0814	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh.
59.	9	All goods of seed quality
60.	0901	Coffee beans, not roasted
61.	0902	Unprocessed green leaves of tea
62.	0909	Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries [of seed quality]
63.	0910 11 10	Fresh ginger, other than in processed form
64.	0910 30 10	Fresh turmeric, other than in processed form
65.	1001	Wheat and meslin [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
66.	1002	Rye [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
67.	1003	Barley [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]

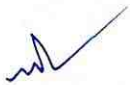
Sl. No.	Chapter or Heading or Sub-heading or Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
68.	1004	Oats [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
69.	1005	Maize (corn) [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
70.	1006	Rice [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
71.	1007	Grain sorghum [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
72.	1008	Buckwheat, millet and canary seed; other cereals such as Jawar, Bajra, Ragi] [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
73.	1101	Wheat or meslin flour [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name].
74.	1102	Cereal flours other than of wheat or meslin, [maize (corn) flour, Rye flour, etc.] [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
75.	1103	Cereal groats, meal and pellets [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
76.	1104	Cereal grains hulled
77.	1105	Flour, of potatoes [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
78.	1106	Flour, of the dried leguminous vegetables of heading 0713 (pulses) [other than guar meal 1106 10 10 and guar gum refined split 1106 10 90], of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8 i.e. of tamarind, of singoda, mango flour, etc. [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
79.	12	All goods of seed quality
80.	1201	Soya beans, whether or not broken, of seed quality.
81.	1202	Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken, of seed quality.
82.	1204	Linseed, whether or not broken, of seed quality.
83.	1205	Rape or colza seeds, whether or not broken, of seed quality.

Sl. No.	Chapter or Heading or Sub-heading or Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
84.	1206	Sunflower seeds, whether or not broken, of seed quality.
85.	1207	Other oil seeds and oleaginous fruits (i.e. Palm nuts and kernels, cotton seeds, Castor oil seeds, Sesamum seeds, Mustard seeds, Safflower (Carthamustinctorius) seeds, Melon seeds, Poppy seeds, Ajams, Mango kernel, Niger seed, Kokam) whether or not broken, of seed quality.
86.	1209	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing.
87.	1210	Hop cones, fresh.
88.	1211	Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purpose, fresh or chilled.
89.	1212	Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh or chilled.
90.	1213	Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets
91.	1214	Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets.
92.	1301	Lac and Shellac
93.	1404 90 40	Betel leaves
94.	1701 or 1702	Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur) and Palmyra Jaggery
95.	1904	Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as Chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as Murki
96.	1905	Pappad
97.	1905	Bread (branded or otherwise), <u>except</u> pizza bread
98.	2201	Water [other than aerated, mineral, purified, distilled, medicinal, ionic, battery, de-mineralized and water sold in sealed container]
99.	2201	Non-alcoholic Toddy, Neera including date and palm neera

Sl. No.	Chapter or Heading or Sub-heading or Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
100.	2202 90 90	Tender coconut water other than put up in unit container and bearing a registered brand name
101.	2302, 2304, 23 05, 23 06, 23 08, 23 09	Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and husk of pulses, concentrates and additives, wheat bran and de-oiled cake
102.	2501	Salt, all types
103.	2835	Dicalcium phosphate (DCP) of animal feed grade conforming to IS specification No.5470 : 2002
104.	3002	Human Blood and its components
105.	3006	All types of contraceptives
106.	3101	All goods and organic manure [other than put up in unit containers and bearing a registered brand name]
107.	3304	Kajal [other than kajal pencil sticks], Kumkum, Bindi, Sindur, Alta
108.	3825	Municipal waste, sewage sludge, clinical waste
109.	3926	Plastic bangles
110.	4014	Condoms and contraceptives
111.	4401	Firewood or fuel wood
112.	4402	Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated
113.	4802 / 4907	Judicial, Non-judicial stamp papers, Court fee stamps when sold by the Government Treasuries or Vendors authorised by the Government
114.	4817 / 4907	Postal items, like envelope, Post card etc., sold by Government
115.	48 / 4907	Rupee notes when sold to the Reserve Bank of India
116.	4907	Cheques, loose or in book form

Sl. No.	Chapter or Heading or Sub-heading or Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
117.	4901	Printed books, including Braille books
118.	4902	Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material
119.	4903	Children's picture, drawing or colouring books
120.	4905	Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed
121.	5001	Silkworm laying, cocoon
122.	5002	Raw silk
123.	5003	Silk waste
124.	5101	Wool, not carded or combed
125.	5102	Fine or coarse animal hair, not carded or combed
126.	5103	Waste of wool or of fine or coarse animal hair
127.	52	Gandhi Topi
128.	52	Khadi yarn
129.	5303	Jute fibres, raw or processed but not spun
130.	5305	Coconut, coir fibre
131.	63	Indian National Flag
132.	6703	Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked
133.	6912 00 40	Earthen pot and clay lamps
134.	7018	Glass bangles (except those made from precious metals)
135.	8201	Agricultural implements manually operated or animal driven i.e. Hand tools, such as spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes; axes, bill hooks and similar hewing tools; secateurs and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges and other tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry.
136.	8445	Amber charkha
137.	8446	Handloom [weaving machinery]
138.	8802 60 00	Spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles
139.	8803	Parts of goods of heading 8801

Sl. No.	Chapter or Heading or Sub-heading or Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
140.	9021	Hearing aids
141.	92	Indigenous handmade musical instruments
142.	9603	Muddhas made of sarkanda and phoolbahari jhadoo
143.	9609	Slate pencils and chalk sticks
144.	9610 00 00	Slates
145.	9803	Passenger baggage
146.	Any chapter	Puja samagri namely,- (i) Rudraksha, rudraksha mala, tulsikanthi mala, panchgavya (mixture of cowdung, desi ghee, milk and curd); (ii) Sacred thread (commonly known as yagnopavit); (iii) Wooden khadau; (iv) Panchamrit, (v) Vibhuti sold by religious institutions, (vi) Unbranded honey [proposed GST Nil] (vii) Wick for diya. (viii) Roli (ix) Kalava (Raksha sutra) (x) Chandantika
147.		Liquefied petroleum gas for supply to household and non domestic exempted category (NDEC) customers
148.		Kerosene oil sold under PDS
149.		Postal baggage transported by Department of Posts
150.		Natural or cultured pearls and precious or semi-precious stones; precious metals and metals clad with precious metal (Chapter 71)
151.		Jewelry, goldsmiths' and silversmiths' wares and other articles (Chapter 71)
152.		Currency
153.		Used personal and household effects
154.		Coral, unworked (0508) and worked coral (9601)



उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या / 2017 / 20(120) / XXVII(8) / 2017
देहरादून:: दिनांक:: 29 नवम्बर, 2017
अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 68 सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 के नियम 138 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 533 / 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017 दिनांक 30 जून, 2017 का अधिकमण करते हुए निम्नलिखित अधिसूचना निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्

1. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल के पारेषण, जिसका मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, का किसी पूर्ति के संबंध में संचलन कारित करता है या पूर्ति से भिन्न किसी कारण से संचलन कारित करता है या किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक पूर्ति या राज्य के बाहर से आवक पूर्ति के कारण संचलन कारित करता है, ऐसे संचलन के प्रारंभ होने से पूर्व उक्त माल के संबंध में सामान्य पोर्टल <http://comtaxappl.uk.gov.in/gstweb> पर इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप अर्थात् "ई-वे बिल" के भाग क में माल के संचलन के पूर्व निम्नलिखित अंतर्निहित विवरण प्रस्तुत करेगा;

ई-वे बिल

भाग -क		
क1	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईन	
क2	परिदान का स्थान	
क3	बीजक या चालान संख्या	
क4	बीजक या चालान की तारीख	
क5	माल का मूल्य	
क6	एचएसएन कोड	
क7	परिवहन का कारण	
क8	परिवहन दस्तावेज संख्या	
भाग -ख		
ख	वाहन संख्या	

टिप्पणी -

- (1) क6 में एच0एस0एन0 कोड पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये तक वार्षिक आवर्त रखने वाले कर दाताओं के लिए न्यूनतम दो अंकीय स्तर और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये से ऊपर वार्षिक आवर्त रखने वाले कर दाताओं के लिए चार अंकीय स्तर पर उपदर्शित किया जायेगा।
- (2) परिवहन दस्तावेज संख्या, माल रसीद संख्या या रेल रसीद संख्या या वायु मार्ग बिल संख्या या लदान बिल संख्या को उपदर्शित करता है।
- (3) परिदान का स्थान, परिदान के स्थान के पिन कोड से उपदर्शित किया जाएगा।
- (4) परिवहन का कारण निम्नलिखित में से एक चुना जायेगा:

कोड	वर्णन
1	पूर्ति
2	निर्यात या आयात
3	छुटपुट काम
4	एसकेडी या सीकेडी
5	अज्ञात प्राप्तिकर्ता
6	लाइन सेल्स
7	विक्रय वापसी
8	प्रदर्शनी या मेले
9	अपने स्वयं उपयोग के लिए
0	अन्य

2. जब माल का परिवहन, चाहे स्वयं के परिवहन में या भाटक पर लिए गए या रेल द्वारा या वायुयान द्वारा या किसी जलयान द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा परेषक के रूप में या पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा परेषिती के रूप में किया जाता है, तो उक्त व्यक्ति या प्राप्तिकर्ता प्ररूप ई-वे बिल के भाग ख में सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात् सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप में ई-वे बिल का सृजन कर सकेगा;

परंतु यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या परिवहनकर्ता अपने विकल्प पर ई-बिल का तब भी सृजन और वहन कर सकेगा जब पारेषण का मूल्य पचास हजार रुपये से कम है;

परंतु यह और कि जब संचलन किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या तो अपने स्वयं के या किसी भाटक पर वाहन या किसी परिवहनकर्ता के माध्यम से कारित किया जाता है तो वह या परिवहनकर्ता के माध्यम से कारित किया जाता है तो वह या परिवहनकर्ता अपने स्वयं के विकल्प पर सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल का सृजन कर सकेगा;

परंतु यह भी कि जहां माल का परिवहन राज्य में परेषक के कारबार के स्थान से परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान को अग्रेत्तर परिवहन के लिए दस किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है तो पूर्तिकार या परिवहनकर्ता अपने विकल्प पर भाग ख में वाहन के ब्यौरे प्रस्तुत कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण 1. जहां माल की पूर्ति किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को की जाती है, जो रजिस्ट्रीकृत है, तो संचलन को ऐसे प्राप्तिकर्ता द्वारा कारित किया गया कहा जाएगा, यदि माल का संचलन प्रारंभ होने के समय प्राप्तिकर्ता ज्ञात है;

स्पष्टीकरण 2. ई-वे बिल के भाग क में सूचना को पूर्ति के परेषक या प्राप्तिकर्ता द्वारा पारेषिती के रूप में वहां प्रस्तुत किया जाएगा, जहां माल का परिवहन रेल या वायुयान या जलयान द्वारा किया गया है।

3. सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल के सृजन पर सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार, प्राप्तिकर्ता और परिवहनकर्ता को एक विशिष्ट ई-वे बिल संख्या (ईबीएन) उपलब्ध कराया जाएगा।

4. अभिवहन के अनुक्रम में एक वाहन से दूसरे वाहन को मालों का अंतरण करने वाला परिवहनकर्ता ऐसे अंतरण और माल के अग्रेत्तर संचलन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल में वाहन के ब्यौरों को अद्यतन करेगा।

परंतु जहां मालों का परिवहन राज्य में परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान से अंतिमतः परेषिती के कारबार के स्थान को दस किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है, तो वाहन के ब्यौरों को ई-वे बिल में अद्यतन नहीं किया जाएगा।

5. ई-वे बिल के सृजन के पश्चात्, जहां बहुल परेषणों को एक वाहन में परिवहित करना आशयित है तो परिवहनकर्ता ऐसे प्रत्येक परेषण के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से सृजित ई-वे बिलों की कम संख्या को उपदर्शित कर सकेगा और माल के संचलन से पूर्व उक्त सामान्य पोर्टल पर उसके द्वारा निम्न प्ररूप में एक समेकित ई-वे बिल का सृजन किया जा सकेगा।

समेकित ई-वे बिल

ई-वे बिल संख्या	
ई-वे बिल संख्या	

6. जहां परेषक या परेषिती ने ई-वे बिल का सृजन नहीं किया है और वाहन में ले जाए जाने वाले माल का मूल्य पचास हजार रूपए से अधिक है तो परिवहनकर्ता, यथास्थिति, पूर्ति के बीजक या बिल या परिदान चालान के आधार पर खण्ड (1) में प्रदत्त प्ररूप में ई-वे बिल का सृजन करेगा और माल के संचलन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर समेकित ई-वे बिल का भी सृजन कर सकेगा।

7. अधिसूचित वेबसाईट पर खण्ड (1) में प्रदत्त प्ररूप में ई-वे बिल के भाग क में प्रस्तुत सूचना को रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटीआर- 01 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

परन्तु जहां ई-वे बिल में अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ता द्वारा ब्यौरे दाखिल किये गये हैं तो उसे इलैक्ट्रॉनिकली सूचित किया जाएगा यदि मोबाईल नम्बर और ई-मेल उपलब्ध है।

8. जहां ई-वे बिल सृजित किया गया है किंतु माल का या तो परिवहन नहीं किया गया है या परिवहन प्रस्तुत ई-वे बिल के ब्यौरों के अनुसार नहीं किया गया है तो ई-वे बिल को सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से ई-वे बिल के सृजन के चौबीस घंटों के भीतर रद्द किया जा सकेगा :

परंतु किसी ई-वे बिल को रद्द नहीं किया जा सकेगा यदि उसका उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अनुसार अंतरण में सत्यापन कर दिया गया है।

9. इस अधिसूचना के अधीन सृजित ई-वे बिल या समेकित ई-वे बिल सुसंगत तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित अवधि के लिए स्तंभ (2) में यथावार्णित माल को परिवहित किये जाने वाली दूरी के लिए वैध होगा :

क्र०स०	दूरी	वैधता की अवधि
(1)	(2)	(3)
1.	100 किलोमीटर तक	एक दिन
2.	प्रत्येक 100 किलोमीटर या तत्पश्चात् उसके भाग के लिए	एक अतिरिक्त दिन

परंतु आयुक्त अधिसूचना द्वारा किसी ई-वे बिल की वैधता का उसमें विनिर्दिष्ट माल के कतिपय प्रवर्गों के लिए विस्तार कर सकेगा :

परंतु यह और कि आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन, जहां माल का परिवहन ई-वे बिल की वैधता अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है, तो परिवहनकर्ता ई-वे बिल के भाग ख में ब्यौरों को अद्यतन करने के पश्चात् दूसरा ई-वे बिल सृजित कर सकता है।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए "सुसंगत तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसको ई-वे बिल का सृजन किया गया है और वैधता की अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जिसको ई-वे बिल का सृजन किया गया है और प्रत्येक दिन की गणना चौबीस घंटों के रूप में की जाएगी।

10. इस अधिसूचना के अधीन सृजित ई-वे बिल के ब्यौरों को पूर्तिकर्ता को सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, यदि वह रजिस्ट्रीकृत है, जो ई-वे बिल से आच्छादित पारेषण की स्वीकृति या अस्वीकृति की संसूचना देगा।

11. जहां उपर्युक्त खण्ड (10) में निर्दिष्ट प्राप्तिकर्ता सामान्य पोर्टल पर ब्यौरों को उसे उपलब्ध कराने के बहत्तर घंटे के भीतर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की संसूचना नहीं देता है तो यह माना जाएगा कि उसने उक्त ब्यौरों को स्वीकार कर लिया है।

12. इस अधिसूचना या किसी राज्य के माल और सेवा कर नियमों के नियम 138 के अधीन सृजित ई-वे बिल प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में वैध होगा।

13. इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ई-वे बिल को सृजित करने की अपेक्षा नहीं होगी-

- (क) जहां परिवहन किए जा रहे माल को उपाबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है ;
 - (ख) जहां माल का परिवहन गैर-मोटरिकृत वाहन द्वारा किया जा रहा है ;
 - (ग) जहां माल का परिवहन किसी पत्तन, विमानपत्तन, एयर कार्गो परिसर और भू-सीमा शुल्क केंद्र से किसी इन-लैंड कंटेनर डिपो या किसी कंटेनर फ्रेट स्टेशन को सीमा शुल्क निकासी के लिए किया जा रहा है ; और
- स्टेशन को सीमा शुल्क निकासी के लिए किया जा रहा है।

14. वाहन का प्रभारी व्यक्ति अपने साथ बीजक या पूर्ति का बिल या परिदान चालान, जैसी भी स्थिति हो, रखेगा।

15. **सूचना दाखिल करने की प्रक्रिया :** ऊपर दिये गये प्ररूप में सूचना दाखिल करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुगमन किया जाएगा :

(क) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति सामान्य पोर्टल <http://comtaxappl.uk.gov.in/gstweb> पर लॉगइन करेगा और वन टाईम पासवर्ड (ओटीपी) के माध्यम से प्रमाणीकरण के द्वारा यूजरनेम और पासवर्ड सृजित करेगा।

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त पासवर्ड को उचित अभिरक्षा में रखेगा। पंजीकृत व्यक्तियों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे नियमित अंतराल पर पासवर्ड परिवर्तित करते रहे।

(ग) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति यदि आवश्यक हो तो उप-उपयोगकर्ता सृजित कर सकता है।

16. इस अधिसूचना का अनुपालन नहीं किये जाने पर या त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण सूचना दाखिल किये जाने पर उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 129 के अधीन अवरोधन अथवा अभिग्रहण और अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।

17. यह अधिसूचना उस तिथि से प्रवृत्त होगी जो इस निमित्त आयुक्त राज्य कर द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0/002/2017/20(120)/XXVII(8)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3—विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4—अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन।

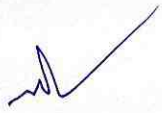
5—एन0आई0सी0

6—गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

**उपाबंध
(देखें खण्ड 13)**

क्र०सं०	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	0101	जीवित अश्व, गधे, खच्चर और हिन्नी
2.	0102	जीवित गोकुलीय प्राणी
3.	0103	जीवित सुअर
4.	0104	जीवित भेड़ और बकरे
5.	0105	जीवित कुक्कुट, अर्थात् गैलस डोमोस्टिकस जाति के मुर्गे, बतख, हंस, टर्की और गिनि मुर्गे
6.	0106	अन्य जीवित प्राणी, जो स्तनपायी, पक्षी, कीट
7.	0201	गोकुलीय प्राणियों का मांस, ताजा और द्रुतशीतित
8.	0202	गोकुलीय प्राणी का मांस, हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
9.	0203	सुअर का मांस, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
10.	0204	भेड़ या बकरे का मांस, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
11.	0205	अश्व, गधे, खच्चर या हिन्नी का मांस, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
12.	0206	गोकुलीय प्राणियों, सुअर, भेड़, बकरे, अश्व, गधे, खच्चर या हिन्नी का खाद्य अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
13.	0207	शीर्ष सं. 0105 के कुक्कुट का मांस और खाद्य अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
14.	0208	अन्य मांस और खाद्य अपशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
15.	0209	चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या अन्यथा निष्कर्षित, ताजा, द्रुतशीतित, हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
16.	0209	चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या अन्यथा निष्कर्षित, लवणित, लवण जल में रखा, शुष्कित या धूमित (आधान इकाई में रखे गए से भिन्न),



क्र०सं०	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण
17	0210	मांस और खाद्य मांस अवशिष्ट, लवणित, लवण जल में रखा, शुष्कित या धूमित ; मांस या मांस अवशिष्ट का खाद्य आटा और अवचूर्ण, आधान इकाई में रखे गए से भिन्न
18	3	मछली बीज, झिंगा/झिंगी बीज प्रसंस्कृत, संसाधित या हिमशीतित स्थिति में है या नहीं (अध्याय 3 के अधीन आने वाले माल और आकृष्ट 2.5 प्रतिशत से भिन्न),
19	0301	जीवित मछली
20	0302	मछली, हिमशीतित, जिसके अंतर्गत शीर्ष सं० 0304 के मछली कतले और मछली मांस नहीं है
21	0304	मछली के कतले और अन्य मछली का मांस (चाहे कीमाकृत है या नहीं), ताजे या हिमशीतित
22	0306	क्रेस्टेशिया, चाहे कवच युक्त है या नहीं, कवचयुक्त क्रेस्टेशिया जो भापन द्वारा या जल में उबालकर पकाई गई है, ताजा या हिमशीतित
23	0307	मोलस्क, चाहे कवच युक्त है या नहीं, हिमशीतित, क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न जलीय अकशेरुकी जीवित ताजे और हिमशीतित
24	0308	क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न, जलीय अकशेरुकी, जीवित, ताजा या हिमशीतित
25	0401	ताजे दूध और पाश्चराइज्ड दूध, जिसमें पृथक किया दूध, दूध और क्रीम, जो सांद्रित नहीं है या जिसमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य नहीं है, अल्ट्रा उच्च तापक्रम दूध (यू.एच.टी) को छोड़कर
26	0403	दही, लस्सी, छाछ
27	0406	चना या पनीर जो इकाई आधान में रखा हुआ है, से भिन्न और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
28	0407	पक्षियों के अंडे, ताजे, कवच युक्त, परिरक्षित या पकाए हुए
29	0409	प्राकृतिक मधु, जो इकाई आधान में रखा हुआ है, से भिन्न है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
30	0501	मानव केश, अक्रमिक चाहे धुले या अभिमार्जित या मानव केश के अपशिष्ट
31	0506	सभी माल जैसे हड्डिया और सींगकरोड जो अकर्मित, निर्वसीकृत केवल निर्मित (किंतु आकार में आकर्तित), अम्लोपचारित या अजिलेटीवीकृत है, इन उत्पादों का चूर्ण और अपशिष्ट

क्र0सं0	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण
32	050790	सभी माल जैसे खुर अवचूर्ण सींग अवचूर्ण खुर अवचूर्ण नख और चोंच ऐंटलर्स इत्यादि
33	0511	शुक्र जिसमें शीतित शुक्र हैं
34	6	जीवित वृक्ष और अन्य पौधे शल्यकंध और जड़े और वैसी ही चीजें ; कर्तित पुष्प और अलंकृत प्रण समूह
35	0701	आलू ताजे या द्रुतशीतित
36	0702	टमाटर ताजे या द्रुतशीतित
37	0703	प्याज, शैलक, लहसुन, लीक और अन्य लहसुनी वनस्पतियां ताजी या द्रुतशीतित
38	0704	बंदगोभी, फूलगोभी, कोहलवीं केल और उसी प्रकार के खाद्य ब्रेसिका, ताजे या द्रुतशीतित
39	0705	लेट्यूस (लैक्टूकासैटाइवा) और कासनी (साइकोरियम सभी जातियां), ताजे या द्रुतशीतित
40	0706	गाजर शलजम सलाद चुकंदर सैलेरिक मूली और वैसी ही खाद्य जड़े ताजी या द्रुतशीतित
41	0707	खीरा आदि या घेरकिन ताजे या द्रुतशीतित
42	0708	कवच युक्त या कवच रहित फलीदार वनस्पतियां ताजी या द्रुतशीतित
43	0709	अन्य वनस्पतियां ताजी या द्रुतशीतित
44	0712	शुष्कित वनस्पतियां जो साबुत, कर्तित, कतरी गई, टूटी या चूर्णित हैं किंतु और निर्मित नहीं हैं
45	0713	शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवचयुक्त, चाहे त्वचारहित या विपाटित हैं या नहीं
46	0714	मेनिओक, अरारूट, संलेप, जेरुसलम पाथीचक, शकरकंद और वैसी ही जड़ें और कंद, जिनमें स्टार्च और इन्गूलिन की मात्रा अधिक है ताजी या द्रुतशीतित, साबूदाने का पिथ
47	0801	नारियल ताजा या शुष्क चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नहीं
48	0801	ब्राजील नट ताजा या शुष्क चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नहीं
49	0802	अन्य नट, अन्य नट ताजे जैसे बादाम हजैल नटस या फिलबर्ट (कारिलस सभी जातियां) अखरोट, चौस्टनट (कैस्टोनिया सभी जातियां)

क्र०सं०	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण
		पिस्ता, मैकाडेमिया नट्स, कोला नट्स (कोला सभी जातियां) अरेका नट्स, चाहे कवच युक्त हो या छिलकारहित
50	0803	केले जिसके अंतर्गत कदली भी है ताजे या शुष्कित
51	0804	छुहार, अंजीर, अनानास, एवोकेडोज, अमरुद, आम और मँगोस्टीन ताजे
52	0805	नींबू फल जैसे नारंगिया मैडारिन (जिसके अंतर्गत टेन्जेरीन और सटसुमस हैं) क्लेमेन्टाइन, बिलकिंग और अन्य वैसे ही निंबुकल, अंगूर जिसमें पोमीलोस नींबू फल साइट्रस लिमोजम और लाइम (साइकस औरंटीफोलिया, साइट्रस लाटीफोलिया) ताजा
53	0806	अंगूर, शुष्कित, और किशमिश
54	0807	खरबूजों (तरबूज सहित) और पापास (ताजे)
55	0808	सेब, नाशपाती और क्वींस ; ताजे
56	0809	खुबानी, चेरी, आड़ू (जिसके अंतर्गत शफतालू हैं) आलू बुखारा और स्लो, ताजे ।
57	0810	अन्य फल ताजे जैसे स्ट्राबेरी, रसभरी, ब्लैकबेरी शहतूत और लोगनबेरी, काली सफेद लाल किशमिश तथा गूजबेरी, कर्शोदा, बिलबेरी, वैक्सीनियम वंश के अन्य फल, कीवी फल, ड्यूटिमंस, तेइफल, अनार, इमली ताजा । सपोटा (चीकू) शरीफा (अटा) बोर लाची ताजे
58	0814	नींबू फल या खरबूजे (तरबूजे सहित) के छिलके ; ताजे
59	9	बीजगुण का सभी माल
60	0901	काफी, बीज अभर्जित
61	0902	चाय के अप्रसंस्कृत हरे पत्तों की चाय,
62	0909	सौंफ, बेडियन, बड़ी सौंफ, धनिया, सफेद जीरा या काला जीरा के बीज ; जूनिपर बेरी बीज क्वालिटी के,
63	0910 11 10	ताजी अदरक प्रसंस्कृत रूप से भिन्न
64	09103010	ताजी हल्दी प्रसंस्कृत रूप से भिन्न
65	1001	गेहूं और मेसलिन, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है से भिन्न
66	1002	राई, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है से भिन्न
67	1003	जौ, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है से भिन्न

क्र०सं०	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण
68	1004	जई, (जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है से भिन्न),
69	1005	मक्का (कान), (जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न)
70	1006	चावल, (जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न)
71	1007	ज्वारादि का दाना, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
72	1008	कुटू, मिलेट और कैनेरी बीज ; अन्य धान्य, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, (जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न),
73	1101	गेहूं या मेसलिन आटा, (जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न),
74	1102	गेहूं या मेसलिन आटा से भिन्न धान्य आटा, उदाहरणार्थ मक्का (कान) आटा, राई आटा, आदि (जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न),
75	1103	धान्य दलिया, अवचूर्ण और गुटिका, जिसके अंतर्गत सूजी और दलिया है, (जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न),
76	1104	धान्य दाना तुष निकाले गए
77	1105	आलू का आटा, (जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न),
78	1106	शीर्ष संख्या 713 के शुष्कित फलीदार वनस्पतियों (दालों) का (1106 10 10 के ग्वार आटे और 1106 10 90 के ग्वार गम परिष्कृत स्पलिट से भिन्न), और शीर्ष 0714 के साबुदाने का या जड़ों या कंदों का अथवा अध्याय 8 के उत्पादों जैसे टमारिड, सिंघाड़ा, आमचूर आदि का आटा, (जिसे इकाई आधानों में रखा हुआ है, जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न),
79	12	बीज क्वालिटी का सभी माल
80	1201	बीज क्वालिटी की सोयाबीन, चाहे टूटी हुई है या नहीं
81	1202	मुंगफली, जो भर्जित या अन्यथा पकाई गई है चाहे कवचरहित या टूटी हुई या नहीं

क्र०सं०	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण
82	1204	अलसी, चाहे टूटी हुई है या नहीं, बीज क्वालिटी की
83	1205	तोरिया या कोलजा बीज, चाहे टूटे हुए है या नहीं, बीज क्वालिटी की
84	1206	बीज क्वालिटी की सूर्यमुखी के बीज, चाहे टूटे हुए हैं या नहीं
85	1207	अन्य तिलहन और तेलोत्पादक फल (उदाहरणार्थ ताड़फल और गिरी, बिनोले, एरंड तेल बीज, तिल बीज, सरसों के बीज, कुसुंभम (कार्थामस टिंकटोरियस) बीज, खरबूजे के बीज, खसखस बीज, एजामस बीस, आम गुठली, नाइजेर बीज, कोकम), चाहे टूटे हुए हैं या नहीं
86	1209	इस प्रकार के बीज फल और बीजाणु जो बोने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं
87	1210	हाप कोन ताजे
88	1211	इस प्रकार के पौधे और पौधों के भाग (जिसके अंतर्गत बीज और फल हैं), जिनका उपयोग प्रथमतः सुगंध सामग्री में, या फार्मेसी में या कीटनाशी, फफूंदी नाशी या वैसे ही प्रयोजनों के लिए किया जाता है, हिमशीतित या शुष्कित
89	1212	लोकस्ट फलियां, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकन्दर और गन्ना, ताजे या द्रुतशीतित
90	1213	धान्य पुआल और भूरी अनिर्मित चाहे काटी हुई दलित ; दावित या गुटिका के रूप में है या नहीं
91	1214	स्वीडन का शलजम मेगोल्ड, चार की जड़ें, सूखी खास रिजका (अल्फाफा) क्लोबर सेनफोइन, हरा चारा काले ल्यूपिन वैचिज और वैसे ही हरा चारा उत्पाद चाहे वह गुटिका के रूप में है या नहीं ।
92	1301	लाख या शल्क लाख
93	1404 90 40	बीड़ी आवेष्टक पततियां (तेंदू)
94	1701 या 1702	गन्ना, गुड़ और पामीरा गुड़ सहित सभी प्रकार के गुड़ और पामीरा चीनी
95	1904	धान्य सामान्यतः मुदी के रूप में जाना जाने वाला फ्लेटेंड या चूड़ा धावन जो सामान्यतः चूरा के रूप में जाना जाता है । पार्चड चावल सामान्यतः खोई के रूप में जाना जाने वाला, पार्चड धान या चीनी या गुड़ लेपित चावल सामान्यतः मुरकी के रूप में जाना जाने वाला ।
96	1905	पापड़
97	1905	रोटी (ब्रांडेड या अन्यथा) पिज्जा ब्रेड को छोड़कर

क्र०सं०	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण
98	2201	जल (एड्रोरेटड खनिज, शुद्ध, वातित, चिकित्सीय आयनिक बैटरी, डी मिनरलाईज्ड और सीलबंद आधान में बेचे जाने वाला जल),
99	2201	नान एल्कोहलिक टोडू, नीरा जिसमें डेट और पाम नीरा है
100	22029090	टेंडर नारियल जल जो यूनिट आधान में रखा से भिन्न है और रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम रखता है
101	2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	जलीय धारा जिसमें झींगा चारा और प्रान चारा, मुर्गी चारा और पशु चारा जिसमें घास है और स्ट्रा, दाल के एंड चुक सप्लीमेंट, सांद्र और एडीटिप, गेंहू ब्रान और बिना तेल का केक
102	2501	लवण सभी प्रकार
103	2835	डायलिसिसम फॉस्फेट (डीसीपी) का प्राइज फीड ग्रेड है जो आईएस स्पेसिफिकेशन नं .54770रू 2002
104	3002	मानव रक्त और उसके घटक
105	3006	सभी प्रकार के गर्भनिरोधक
106	3101	सभी माल और कार्बनिक खाद (इकाई कंटेनरों में लगाए जाने के अलावा और एक पंजीकृत ब्रांड नाम देना),
107	3304	काजल (काजल पेन्सिल स्टिक्स के अलावा), कुमकुम, बिंदी सिंदूर, अलता
108	3825	नगरपालिका अपशिष्ट, सीवेज कीचड़, नैदानिक अपशिष्ट
109	3926	प्लास्टिक की चूड़ियाँ
110	4014	कंडोम और गर्भनिरोधक
111	4401	लकड़ी या ईंधन की लकड़ी
112	4402	लकड़ी का कोयला (शेल या अखरोट का कोयला सहित), चाहे ढका हुआ हो या नहीं
113	4802 / 4907	न्यायिक, गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, सरकार द्वारा अधिकृत सरकारी खजाने या विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने वाले न्यायालय शुल्क टिकट
114	4817 / 4907	डाक टिकट, जैसे लिफाफा, पोस्ट कार्ड आदि सरकार द्वारा बेची गई
115	48 / 4907	रुपया नोट भारतीय रिजर्व बैंक को बेचा गया है
116	4907	चेक, खुला या पुस्तक के रूप में
117	4901	ब्रेल पुस्तकों सहित मुद्रित पुस्तकें

क्र०सं०	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण
118	4902	अखबार, पत्रिकाओं और पत्रिकाओं, चाहे वह सचित्र या विज्ञापन सामग्री युक्त हों या नहीं
119	4903	बच्चों की तस्वीर, किताबें ड्राइंग या रंग
120	4905	नक्शा और जल-विज्ञान या सभी तरह के समान चार्ट, जिनमें एटलाज, दीवार के नक्शे, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब शामिल हैं, मुद्रित
121	5001	रेशमकीट बिछाने, कोकून
122	5002	कच्चे रेशम
123	5003	सिल्क अपशिष्ट
124	5101	ऊन, कार्डड या कॉम्बेड नहीं
125	5102	हल्के या मोटे जानवरों के बाल, कार्डड या कम्बेड नहीं होते हैं
126	5103	ऊन या अपरिवर्तनीय पशु बाल
127	52	गांधी टोपी
128	52	खादी यार्न
129	5303	जूट तंतुओं , कच्चे या संसाधित होते हैं लेकिन घूमती नहीं
130	5305	नारियल, कॉयर फाइबर
131	63	भारतीय राष्ट्रीय ध्वज
132	6703	मानव बाल, कपड़े पहने हुए, पतले, प्रक्षालित या अन्यथा काम किया
133	6912 00 40	मिट्टी के बर्तन और मिट्टी दीपक
134	7018	कांच की चूड़ियां (बहुमूल्य धातुओं से बनी उनको छोड़कर)
135	8201	हाथ से संचालित या पशु संचालित कृषि करता है, अर्थात् हाथों के उपकरण, जैसे हुकुम, फावड़े, मैटैक्स, चुनता है, गैंती, फावड़े और राकियां कुल्हाड़ियों, बिल हुक और इसी तरह के हीविंग टूल्स किसी प्रकार के सेकनेटर्स और प्रिंटरय स्किथेस, सिकल, घास का चाकू, हेज कैची, लकड़ी की पट्टियां और कृषि, बागवानी या वानिकी में प्रयुक्त एक तरह के अन्य उपकरण।
136	8445	अंबर चरखा
137	8446	हथकरघा (बुनाई मशीनरी),
138	8802 60 00	अंतरिक्ष यान (उपग्रहों सहित) और उपोर्बिटल और अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण वाहन
139	8803	शीर्ष 8801 के माल के सामान

क्र०सं०	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण
140	9021	हियरिंग एड्स
141	92	स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्र
142	9603	अंकुर और फुलबहरिजधु से बना मुघता
143	9609	स्लेट पेंसिल और चाक की छड़ें
144	9610 00 00	स्लेट
145	9803	यात्री सामान
146	किसी भी अध्याय	पूजा सामग्री, – (i) रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कनिष्ठ मलाला, पंचगव्य (चूर्ण, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण); (ii) पवित्र धागा (आमतौर पर यग्योपवीत के रूप में जाना जाता है); (iii) लकड़ी के खादौ; (iv) पंचामृत, (v) धार्मिक संस्थानों द्वारा बेची गई विभूति, (vi) बिना ब्रांडेड शहद (प्रस्तावित जीएसटी कुछ नहीं), (vii) दीया के लिए बत्ती, (viii) रोली, (ix) कालावा (रक्षा सूत्र), (x) चन्दन टीका
147		घरेलू और गैर घरेलू छूट वाले श्रेणी (एनडीईसी) ग्राहकों को आपूर्ति के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
148		पीडीएस के तहत बेचा गया मिट्टी के तेल
149		डाक विभाग द्वारा प्रेषित डाक सामान
150		प्राकृतिक या सुसंस्कृत मोती और कीमती या अर्ध कीमती पत्थरों; कीमती धातुओं के साथ कीमती धातुओं और धातु (अध्याय 71)
151		आभूषण, सुनार और चांदी के सामान माल और अन्य लेख (अध्याय 71)
152		मुद्रा
153		प्रयोग किया गया व्यक्तिगत और घरेलू प्रभाव
154		कोरल, बिना काम (0508) और काम किया कोरल (9601)